भाग–III

(संबधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्तावक संख्या– FP/UK/VELEC/28564/2017.

14– स्थल, जहॉ को वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हॉ / नही) यादि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणो को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। **नही** 09.09.2017

15– क्या संबधित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावो से सहमत है। **हॉ**

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। **संस्तुति की जाती है।**

तिथि–09.09.2017.

स्थान–मुनिकीरेती।

हस्ताक्षरः

नाम और पदनाम

(सुशांत पटनायक)
वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त
मुनिकीरेती

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17– टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, संबधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकू टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि......................

स्थान –मुनिकीरेती।

हस्ताक्षरः

नाम और पदनाम

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज/बुरांश/काफल वृक्षो के पातन का प्रमाण–पत्र

परियोजना को नामः– जनपद टिहरी गढवाल के ब्लाक–भिलंगना में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्राम–गेंवाली के विद्युतीकरण का कार्य।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण के लिए आवेदित वन भूमि 1.50 है0 का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रस्तावित समरेखण का **दिनांक–09–09–2017** को प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित परियोजना से ग्राम गेंवाली के 60 परिवार अथवा 240 लोग (जनसंख्या) लाभान्वित होगें। प्रस्ताव के अनुसार परियोजना हेतु प्रस्तावित समरेखण में विभिन्न व्यास, प्रजाति के आरक्षित वन भूमि में 31 वृक्ष प्रभावित होना पाया जिसमें बुरांश के 02 वृक्ष परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे। प्रभावित होने वाले बुरांश के वृक्षों का विवरण निम्नप्रकार है:–

क्र0सं0	ब्लाक/कक्ष	प्रजाति	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	गेंवाली क0सं0–25अ	बुरांश	–	–	–	02	–	–	–	–	02
	योग		–	–	–	02	–	–	–	–	02

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बुरांश वृक्षो का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

(सुशांत पटनायक)
वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

कार्यालय : वन संरक्षक भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड मुनिकीरेती।

पत्रांक : 437/12-1 *मुनिकीरेती, दिनांक–* 15/9/ **2017**

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–मुख्य वन संरक्षक (गढवाल), उत्तराखण्ड, पौडी।
2–प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3–अधिशासी अभियन्ता (परियोजना), ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0, कांवली रोड, देहरादून ।

(सुशांत पटनायक)
वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।